तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/8/24	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। उभय पक्ष अभिभाषक की धारा 212 प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजी है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण जबरदस्त एवं लड़ाकू किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी का कानूनी रूप से तकासमा नहीं करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को बेचान करना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को बहस का हिस्सा मानते हुए बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है। विवादित आराजी का मौके पर 30 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा हो गया था। मुताबिक बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है जिसका फायदा उठाकर प्रार्थी जबरन उसकी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी अपनी लड़की की शादी करना चाहता है जिसके लिए उसे जमीन बेचने की आवश्यकता है। प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से की आराजी को बेचान करने का कानूनी अधिकार है। कोई भी कांश्तकार अपनी घरेलु आवश्यकता एवं कर्ज को चुकाने के लिए अपने हिस्से की आराजी को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र भारी हर्जाने के खारिज फरमाया जावे। हमने उभय पक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। विस्तृत निर्णय आज मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 27.08.2024 को सरे-इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी 27.8.24 कठूमर (अलवर)	